सलंग्नक : 1

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2006-07 / 207 **Date :** 12-01-2007

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रैक्टिस एवं शिक्षण को विधिक मान्यता प्रदान करने/रोक नहीं लगाये जाने से सम्बन्धित शासनादेश जारी करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पौधों से प्राप्त सत्व के सम्मिश्रण की एक निरापद, अचूक एवं सस्ती चिकित्सा पद्धति है। हमारे देश में इसका प्रादुर्भाव लगभग होम्योपैथी के आगमन के साथ ही सन् 1895 में हुआ। इसकी खोज इटली के बोलोग्ना शहर के महान मनीषी डा० काउण्ट सीजर मैटी द्वारा सन् 1865 में की गयी। उन्होंने उस समय उन जटिल रोगों का निदान किया जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं था। समय के साथ इस चिकित्सा पद्धति ने अपनी उपयोगिता गरीब वर्ग के उपचार एवं जटिल रोगों पर सिद्ध किया। इस समय सम्पूर्ण भारत में एवं विशेषतौर पर उ०प्र० के पूर्वान्चल एवं पश्चिमांचल के साथ–साथ पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, बिहार एवं पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों में इसकी पैठ बन चुकी है। इस पद्धति के सरकारी संरक्षण के अभाव में इसे विभिन्न बोर्डों/काउन्सिलों (सोसाइटिज रजिस्ट्रीकरण 1860 के अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत) द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ही लगभग **10,00,000 (दस लाख)** के करीब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के साथ–साथ अपने को एक सद्व्यवसाय एवं स्वरोजगार में जोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अतः हम सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये आपके सक्रिय सहयोग एवं स्नेहाशीष की अपेक्षा करते हैं ताकि यह चिकित्सा पद्धति, जो बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने में सक्षम है, विकास कर सके एवं सरकारी संरक्षण प्राप्त कर सके।

इस पद्धति के सरकारी संरक्षण के निमित्त हमने सामाजिक दायित्व, वैज्ञानिक पहलू, आर्थिक पक्ष, आदि के सारे तर्क समय–समय पर सरकार के समक्ष रखे परन्तु अभी

क्रमशः ......2......

तक सब प्रयास निष्फल हुये। अत: हम लोगों ने माननीय न्यायालयों की शरण ली । देश के माननीय उच्च न्यायालयों, यथा दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद (CMWP No. 10104/2004 एवं 15279/2004) तथा उच्चतम न्यायालय ने सरकार को समुचित कदम उठाने को कहा। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर भारत सरकार ने आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस के निदेशक की अध्यक्षता में एक वैज्ञानिक समिति बैठाईं। इस समिति ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए अपनी संस्तुति नहीं दी क्योंकि इस समिति में कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथ नहीं था। इसीलिए विषय वस्तु के जानकार न होने के कारण इस पद्धति की उपादेयता सामने नहीं आ सकी। समिति के निर्णय को आधार बनाते हुये, बिना समुचित पक्ष को सुने, केन्द्र सरकार ने इस पैथी पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया जिससे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सको का भविष्य अन्धकारमय हो गया तथा इनके सामने रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी।

हमने जब–जब सरकारी संरक्षण हेतु आवाज़ उठाई, आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा इसकी वैज्ञानिकता पर निराधार प्रश्न चिन्ह लगाए गये। महोदय, हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं कि वनस्पतिशास्त्रियों एवं आयुर्वेदविदों के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पौधे औषधीय गुण रखते हैं। माननीय, हमारे निम्न तर्कों पर सहृदय विचार करें तथा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के पक्ष में आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे लाखों चिकित्सको का जीवन उज्जवल भविष्य की ओर जा सके –

1. यह चिकित्सा पद्धति पौधो पर आधारित है तो क्या इस पद्धति में प्रयुक्त पौधों पर शोध नहीं हुआ है? जबकि उनमे से कुछ पौधे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी मे भी प्रयुक्त होते हैं।
2. यदि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी में प्रयुक्त पौधों पर शोध हुआ है, तो इसमें क्यों नहीं?
3. क्या इस पद्धति के सरकारी संरक्षण के बाद शोध नहीं हो पायेगा?
4. एक गरीब चन्द रूपयों मे स्वास्थ्य लाभ पाकर क्या सुकुन नहीं पायेगा?
5. यदि इस चिकित्सा पद्धति को संचालन की अनुमति मिल जाय तो भ्रमित युवा वर्ग क्या आजीविका का माध्यम नहीं पा जायेगा?

छत्तीसगढ़ सरकार ने विधेयक लाकर तत्सम्बंधी राजपत्र सन् 2001 पारित कर इसको अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह शिक्षा तथा व्यवसाय से जोड़ दिया। दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा सरकार ने भी शासनदेश जारी कर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रैक्टिस करने की छूट दे दी है (कृपया संलग्नक देखें)। महोदय, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, रूस आदि विकसित देशों ने इस चिकित्सा पद्धति को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति तथा 'कम्प्लीमेन्ट्री मेडिसिन' के तहत जोड़ दिया है।

अत: हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकगण आपसे करबद्ध आग्रह करते हैं कि हमारे चिकित्सकीय, सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर विश्लेषण करते हुये लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपौथिक चिकित्सकों एवं इनसे जुड़े करोड़ों गरीब जनता के हित को ध्यान में रख कर आप आगे आयें एवं इस चिकित्सा पद्धति को सरकार द्वारा संरक्षण दिलवाकर हमें उपकृत करें ताकि हमारे साथ न्याय हो। हम आपके सदा आभारी रहेंगे।

विनयावत,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)
SECRETARY
I.E.H.D.A., Ngp., M.S., India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक : क्रमांक 1-9

संलग्नक :

राज्य सरकार के निर्णय

1. छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल (संशोधन) अधिनियम 2001 के तहत कानून बनाकर इस चिकित्सा प्रणाली को वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है । जिससे लगभग 10 हजार चिकित्सक लाभान्वित हैं।
2. **महाराष्ट्र सरकार** द्वारा दिनांक 27 जुलाई 1988 तथा 18 मार्च 1989 को डिप्टी सेक्रेटरी महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक चिकित्सकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगाया है तथा पुन 26 अगस्त 2004 को इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक चिकित्सकों के पक्ष में शासनादेश जारी किया। जिससे लगभग 10 लाख चिकित्सक लाभान्वित हैं।
3. कर्नाटक सरकार के **''डायरेक्टर, इण्डियन सिस्टम ऑफ मेंडिसिन एण्ड होमियोपैथी''** धनवन्तरी रोड, बंगलौर ने शासन के निर्देशों के अनुरूप इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक चिकित्सकों का पंजीकरण किया। जिससे लगभग 50 हजार चिकित्सक लाभान्वित हैं।
4. **पंजाब राज्य** में दिनांक 25.03.2002 को निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत (सी०डब्ल्यू०पी 16791 आफ 2000) इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने की छूट एवं इनका उत्पीड़न रोकने हेतु पंजाब के समस्त सिविल सर्जन को आदेश जारी किया गया। जिससे लगभग एक लाख चिकित्सक लाभान्वित हैं।

हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य फैसले

5. **दिल्ली उच्च न्यायालय** की डिवीजन बेन्च ने माननीय श्री वाई०के०सब्बरवाल, महामहिम एक्टिंग चीफ जस्टिस एवं महामहिम जस्टिस श्री के०एस०गुप्ता ने अपने ऐतिहासिक फैसला अपील नं० 205/92 दिल्ली सरकार बनाम एन०ई०एच०एम० में दिनांक 18 नवम्बर 1998 में सरकार को आदेश दिया है कि **इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के डिप्लोमा/डिग्रीधारक चिकित्सक इस पैथी में पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करेंगे।** माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी दूसरी याचिका में फैसला सुनाते हुए भारत सरकार को छः माह का समय दिया कि वह इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के लिए मेडिकल काउन्सिल एक्ट-1956 के सेक्शन -17, 18, 19 एवं 19A के तहत कानून बनाये। उक्त आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 20.11.1998 को सूचनार्थ एवं त्वरित अनुपालन कार्यवाही हेतु उ०प्र० सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जा चुकी है जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है।

5a. माननीय केरल उच्च न्यायालय (CMP No. 40444/90, फैसला दिनांक 23.11.1998)। **5b.** माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (CMP No. 2018/1992, फैसला दिनांक 19.03.1999)। **5c.** माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (CMP No. 2459/1985, फैसला दिनांक 21.06.2004) में इलेक्ट्रोहोमोपैथिक चिकित्सकों के प्रैक्टिस पर रोक न लगाने का आदेश दिया है।

6. **सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली,** भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उपरोक्त निर्णय आदेश दिनांक 18.11.1998 में मु०स० FAO 205/92 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 24.11.2000 को उक्त अपील को खारीज कर दिया (Petition (S) For Special Leave to Apeal (Civil) No. 11262/2000) तथा **दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया।**
7. **माननीय उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार द्वारा दाखिल प्रपत्र में ''द रिकग्निशन आफ न्यू सिस्टम्स आफ मेडिसिन्स बिल 2005''** के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रोहोमियोपैथी को मान्यता प्रदान करने की बात कही गयी है।
8. **दिनांक 21 जून 2006** को **केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार डा० अम्बुमणि रामदास द्वारा इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्वति को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु पत्र** तथा दिनांक 3 मार्च 2006 को **राज्य सभा में माननीय सांसद श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल के प्रश्न का जबाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिये जाने का आश्वासन दिया।**
9. **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उ०प्र० (CMWP No. 10404/2004, फैसला दिनांक 15.03.2004)। 9a. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उ०प्र० (CMWP No. 15279/2004, फैसला दिनांक 22.04.2004)** ने अपने फैसले में राज्य सरकार को इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक चिकित्सकों के उत्पीड़न रोकने तथा इस संबन्ध में उचित आदेश पारित करने का आदेश दिया है।

SECRETARY
I.E.H.D.A. Non. M.S. India (U.P.Unit)

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 316

Date : 26-10-2007

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

अनुस्मरण पत्र–तृतीय

माननीय मुलायम सिंह यादव जी,
पूर्वमुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुनः सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन होने के साथ ही गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय–समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय–समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अतः आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)
SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/276 दिनांक 31-05-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 314 **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

<u>अनुस्मरण पत्र—चतुर्थ</u>

माननीय अनन्त कुमार मिश्रा जी,
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुन: सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ ही **गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय—समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र** की उ०प्र० ईकाई ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय—समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अत: आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)
SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/295 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 311 **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

<u>अनुस्मरण पत्र–चतुर्थ</u>

माननीय सुखदेव राजभर जी,
विधानसभा अध्यक्ष,
विधानसभा,
लखनऊ।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुन: सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ ही **गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय–समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई** ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय–समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अत: आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेंगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)

SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/291 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 313 Date : 26-10-2007

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

अनुस्मरण पत्र—चतुर्थ

माननीय लालजी वर्मा जी,
चिकित्सा शिक्षा मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुन: सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ ही **गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय–समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई** ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय–समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अत: आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)
SECRETARY
I.E.H.D.A., Ngp., M.S., India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/294 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 312 **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

अनुस्मरण पत्र–चतुर्थ

सुश्री बहन मायावती जी,
माननीया मुख्यमंत्री महोदया,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुन: सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ ही **गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय–समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई ने विभिन्न ज्ञापनों** के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय–समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अत: आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेंगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)

SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/292 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 315 **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

<u>अनुस्मरण पत्र–चतुर्थ</u>

माननीय राजेश त्रिपाठी जी,
राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं धर्मार्थ कार्य,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुनः सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ **ही गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय–समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई** ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय–समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अतः आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेंगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)
SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/296 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22.06.2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 318 **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

<u>अनुस्मरण पत्र—चतुर्थ</u>

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुन: सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ ही **गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय—समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र** की उ०प्र० ईकाई ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय—समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अत: आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)
SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/298
दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं.
P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री,
भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007
दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 322 **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

<u>अनुस्मरण पत्र—चतुर्थ</u>

माननीया सोनिया गाँधी जी,
अध्यक्षा, भारतीय राष्ट्रीस कांग्रेस एवं यू०पी०ए० सरकार,
10 जनपथ मार्ग,
नई दिल्ली।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुन: सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन होने के साथ ही गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय—समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई** ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय—समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अत: आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेंगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)

SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S., India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/302 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 323 **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

अनुस्मरण पत्र–चतुर्थ

माननीय राहुल गाँधी जी,
सांसद,
10 जनपथ मार्ग,
नई दिल्ली।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुनः सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ ही **गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय–समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई** ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय–समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अतः आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)
SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/304 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 317 **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

अनुस्मरण पत्र–चतुर्थ

सेवा में,

महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय,
राज्यसभा अध्यक्ष,
राज्यसभा,
नई दिल्ली।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुनः सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ ही **गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय–समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई** ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय–समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अतः आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)

SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/297 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ बी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association
Nagpur, Maharashtra (INDIA)
(Uttar Pradesh Unit)
MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)
Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 319 | **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

अनुस्मरण पत्र–चतुर्थ

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुनः सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ **ही गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय–समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई** ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय–समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अतः आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)
SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :
1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/299 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।

Indian Electro Homoeopathic Doctors' Association

Nagpur, Maharashtra (INDIA)

(Uttar Pradesh Unit)

MAULANIPUR, TARWA, AZAMGARH - 276123 (U.P.)

Phone : 9451866368

Ref. No. : I.E.H.D.A./ 2007-08 / 321 **Date : 26-10-2007**

अध्यक्ष
डा० विजय कुमार यादव
उपाध्यक्ष
डा० राकेश कुमार राजभर
सचिव
डा० शिवबदन भारद्वाज
उपसचिव
डा० हिन्द लाल राम
कोषाध्यक्ष
डा० अशोक कुमार राजभर
संरक्षक
डा० नवीन राजभर
संगठन मंत्री
डा० पुरूषोत्तम भारद्वाज
उपसंगठन मंत्री
डा० यशवन्त राम
सदस्यगण
डा० राधेश्याम राजभर
डा० दूधनाथ राजभर
डा० रविन्द्र राजभर
डा० सन्तोष राजभर
डा० अनिल राम
डा० देवचन्द चौहान
डा० अखिलेश राजभर
डा० ओमकार राम
डा० कविता
डा० रेखा
डा० आशा
डा० बुधिराम
डा० संजय राम
डा० मनोज राजभर
डा० प्रमोद राजभर
डा० अचरज शर्मा
डा० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

सेवा में,

अनुस्मरण पत्र—चतुर्थ

माननीय लालकृष्ण आडवानी जी,
नेता प्रतिपक्ष,
लोकसभा,
नई दिल्ली।

विषय : इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र।

मान्यवर,

हम समस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इस पत्र के माध्यम से पुन: सविनय निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त विषय पर आपसे सक्रिय सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं ताकि एक भैषजीय, हानिरहित, सस्ती एवं सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति गरीबों, दलितों एवं निर्बलों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। **इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का एक सशक्त साधन** होने के साथ ही **गरीब एवं कमजोर तबके को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है।** इस सन्दर्भ में हमने समय—समय पर इस पद्धति के विकास एवं सरकारी संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी माँग रखी परन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। ज्ञातव्य हो कि पूरे देश में लाखों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एवं उ०प्र० में लगभग **दस लाख (10,00,000) इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक** इस पद्धति से समाज सेवा कर अपने परिवार की जिविका चला रहे हैं। **इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल (लखनऊ), उ०प्र० एवं इण्डियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (नागपुर), महाराष्ट्र की उ०प्र० ईकाई** ने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर समय—समय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट किया है।

अत: आपसे अनुरोध एवं आशा है कि आप अपने सक्रिय सहयोग से सस्ती, हानिरहित एवं वनस्पति आधारित इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कराने का कष्ट करेगें जिससे बेरोजगार एवं गरीब तबके का कल्याण होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डा० शिवबदन भारद्वाज)
SECRETARY
I.E.H.D.A.,Ngp.,M.S.,India (U.P.Unit)
Maulanipur, Tarawa
Azamgarh - 276123 (U.P.)

संलग्नक :

1. पत्रांक संख्या IEHDA/2007-08/301 दिनांक 02-07-2007 की छाया प्रति।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिवालय से जारी पत्र सं. P-2549/ जी०एस० दिनांक 27-07-2007 की छाया प्रति।
3. माननीय डा. अन्बुमणि रामदास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. अ.शा.पत्र सं. 1358/ वी.आई.पी./एच.एफ.एम./2007 दि० 22-06-2007 की छाया प्रति।